न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/80/2022

1. श्रीमती सन्तोष माहेश्वरी धर्मपत्नि श्री रामदास माहेश्वरी
2. श्रीमती नम्रता माहेश्वरी धर्मपत्नि श्री अशोक कुमार माहेश्वरी

जातियान माहेश्वरी निवासीगण 69, धूलेश्वर गार्डन सरदार पटेल मार्ग, जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये आयुक्त बिडला मन्दिर के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

––प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती नक्शा

निर्णय दिनांक: 14.07.2023

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण की कृषि भूमि के पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि स्थित है, राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर की अंकित सीमओं की मांप करने पर उक्त खसरा नंबर 171/501 का रकबा लगभग 0.57 हैक्टयर हो जाता है, राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में प्रतिवादी संख्या 1 के खसर नंबर 171/501 की पश्चिमी सीमा गलत प्रकार से वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 की भूमि में दर्शायी हुई है, खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर के गलत नक्शा ट्रेस का प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि में नाजायज रूप से निर्माण करना चाहता है और वादीगण को जबरन से बेदखल करना चाहता है, प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171/501 के कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिनांक 01.03.2008 को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर की सीमा के भीतर नाजायज निर्माण करने के उद्देश्य से नाप–जोख करना प्रारम्भ कर दिया, वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर का निर्माण करके रखेंगें, यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की कृषि भूमि की सीमा के भीतर नाजायज निर्माण कार्य कर लिया तो वादीगण अपने कब्जे काश्त से बेदखल हो जावेगीं तथा अपनी सम्पत्ति के उपयोग व उपभोग के विधिक अधिकारो से महरूम हो जावेगी इस प्रकार वादीगण का अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर में दिनांक 01.03.2008 को नाजायज कब्जा करने, पक्का निर्माण करने की नाजायज धमकी दिये जाने से वादकारण पैदा होकर निरंतर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री कराया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके कर्मचारी, अधिकारी एजेन्ट, सर्वेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर सम्पूर्ण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई नाजायज कब्जा नही करें, किसी प्रकार का कोई नाजायज निर्माण कार्य नही करें, वादीगण के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा, अवरोध पैदा नही करें न अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर के अनुरूप इसकी पश्चिमी सीमा को दुरूस्त करके राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में सही सीमा अंकित करें।

वादीगण की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर ग्राम हरध्यानपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण की कृषि भूमि के पूर्व दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर भूमि स्थित है, राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर की अंकित सीमओं की मांप करने पर उक्त खसरा नंबर 171/501 का रकबा लगभग 0.57 हैक्टयर

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

हो जाता है, राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में प्रतिवादी संख्या 1 के खसर नंबर 171/501 की पश्चिमी सीमा गलत प्रकार से वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 की भूमि में दर्शायी हुई है, खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर के गलत नक्शा ट्रेस का प्रतिवादी संख्या 1 नाजायज फायदा उठाकर वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर भूमि में नाजायज रूप से निर्माण करना चाहता है और वादीगण को जबरन से बेदखल करना चाहता है, प्रतिवादी संख्या 1 को उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171/501 के कुल रकबा 0.39 हैक्टेयर से अधिक भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने दिनांक 01.03.2008 को वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर की सीमा के भीतर नाजायज निर्माण करने के उद्देश्य से नाप–जोख करना प्रारम्भ कर दिया, वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादी संख्या 1 के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने वादीगण को ऐलानिया धमकी दी कि वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर का निर्माण करके रखेंगें, यदि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की कृषि भूमि की सीमा के भीतर नाजायज निर्माण कार्य कर लिया तो वादीगण अपने कब्जे काश्त से बेदखल हो जावेगीं तथा अपनी सम्पत्ति के उपयोग व उपभोग के विधिक अधिकारो से महरूम हो जावेगी इस प्रकार वादीगण का अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर में दिनांक 01.03.2008 को नाजायज कब्जा करने, पक्का निर्माण करने की नाजायज धमकी दिये जाने से वादकारण पैदा होकर निरंतर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वाद वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व उसके कर्मचारी, अधिकारी एजेन्ट, सर्वेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171 रकबा 1.97 हैक्टेयर सम्पूर्ण की भूमि पर किसी प्रकार का कोई नाजायज कब्जा नही करें, किसी प्रकार का कोई नाजायज निर्माण कार्य नही करें, वादीगण के उपयोग, उपभोग में कोई बाधा, अवरोध पैदा नही करें न अन्य से करावें। प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टेयर के अनुरूप इसकी पश्चिमी सीमा को दुरूस्त करके राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में सही सीमा अंकित करें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि खसरा नंबर 171/501 रकबा 0.39 हैक्टैयर मिन प्रतिवादी की खातेदारी को होना स्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में वादीगण की कोई भूमि प्राधिकरण के परिसर में नहीं आती है। मिन प्रतिवादी नक्शा ट्रेस का कोई गलत लाभ नहीं उठा रहा है और ना ही वादीगण को बेदखल कर रहा है सही तथ्य यह है कि वादीगण दावे की आड में प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादीगण द्वारा वाद केवल मात्र मिन प्रतिवादी की भूमि पर अवैध कब्जा करने की कोशिश से प्रस्तुत किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है। वादीगण को दिनांक 01.01.2008 को या कभी भी कोई वादकारण उत्पन्न नहीं हुआ और दावा खारिज किये जाने योग्य है।

वादीगण की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र पीडब्ल्यू–1 श्रीमती सन्तोष माहेश्वरी धर्मपत्नि श्री रामदास माहेश्वरी, पीडब्ल्यू–2 श्रीमती नम्रता माहेश्वरी धर्मपत्नि श्री अशोक माहेवरी का पेश किया। प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी साक्ष्य पेश नही करने पर साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

बहसी वादपत्र पर वकील उभयपक्ष की सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 171 रकबा 1.9700 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण है। वादीगण के मुख्य रूप से विवाद प्रदर्श–3 हाल नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित ' ए से लेकर बी तक अंकित तरमीम लाईन का है। वादीगण का कथन है कि उक्त तरमीम लाईन गलत रूप से वादीगण की आराजीयात में अंकित की गई है। क्योकि तरमीम लाईन मौके अनुसार व पूर्व नक्शे के अनुसार नही की जाकर पटवारी द्वारा अपनी मनमर्जी से अंकित की गई है। मौके पर पक्षकारान् के मध्य रकबे के संबंध में कोई विवाद नही है। केवल मात्र नक्शा में की गई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना है। जिसे स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 171 व खसरा नंबर 171/501 वाकै ग्राम हरध्यानपुरा पटवार हल्का देवलिया

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के हाल नक्शा ट्रेस में जो प्रदर्श–3 अंकित है में ए से बी अंकित लाईन को हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व रकबा अनुसार मौके की जॉच कर पुनः तरमीम लाईन अंकित करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर ब इजलास श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

संतोष
अन्य

बनाम

जयपुर विकास प्राधिकरण व

वाद पत्र स्थायी निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती नक्शा

मुकदमा नम्बर – दावा/80/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 171 व खसरा नंबर 171/501 वाकै ग्राम हरध्यानपुरा पटवार हल्का देवलिया भू0अ0नि0 क्षेत्र ठीकरिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित के हाल नक्शा ट्रेस में जो प्रदर्श–3 अंकित है में ए से बी अंकित लाईन को हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड व रकबा अनुसार मौके की जॉच कर पुनः तरमीम लाईन अंकित करें। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....
..... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह .....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....
..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14.07.2023 को जारी की गई।

मुहर

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दस्तखत ..... सहायक कलक्टर
ओहदा ..... जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			गहन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner